विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम-1961 के तहत इस कार्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण और भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत देय होगा। ट्रेड-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	ट्रेड	सीटों की संख्या
01	मोटर मैकेनिक वाहन	04
02	इलेक्ट्रीशियन	01
03	वेल्डर	01
04	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	01
05	प्लंबर	01
06	पेंटर	01
	कुल	09

नोटः- शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार, कोई भी प्रशिक्षु जो पहले किसी भी संस्थान से अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुका है, वह दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन और चयन प्रक्रियाः-

1. इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर अपना पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन तिथि 27.11.2026 से 30.11.2026 तक करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक अपना फोटो, दसवीं की अंकतालिका, आई.टी.आई. पास की अंकतालिका, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें और आवेदक का प्रोफाइल आधार सत्यापित होना बहुत आवश्यक है।
2. आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन आवेदन कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल और उपरोक्त सभी संबंधित दस्तावेज लेकर तिथि 03.12.2026 को कार्यालय महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, नया बस स्टैंड, पानीपत में प्रातः 10:00 बजे दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

आवेदकों का चयन महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत द्वारा गठित समिति द्वारा आवेदकों के संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद आई.टी.आई. में प्राप्त प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आवेदकों के आई.टी.आई. के अंकों में समानता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में मेरिट का आधार दसवीं में प्राप्त अंकों को माना जाएगा।

सामान्य निर्देशः-

1. आवेदक का प्रोफाइल आधार सत्यापित होना चाहिए।
2. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है (हरियाणा का अधिवास - Domicile of Haryana) या हरियाणा राज्य के अधीन मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. आवेदक का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि पोर्टल पर दसवीं और आई.टी.आई. की अंकतालिका में समान होनी चाहिए।
4. पोर्टल पर आवेदक के प्रोफाइल में दसवीं और आई.टी.आई. ट्रेड का विवरण तथा उसकी माता का नाम अनिवार्य है।
5. चयनित आवेदक की जॉइनिंग सहायक शिक्षुता सलाहकार, पानीपत द्वारा अनुबंध स्वीकार करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
6. शिक्षुता प्रशिक्षण अनुबंध हरियाणा राज्य परिवहन में रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
7. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत हरियाणा राज्य परिवहन में प्रशिक्षु को नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और आवेदक इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।
8. आवेदक को समय-समय पर अपनी ई-मेल जांचने और चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
9. आरक्षण शिक्षुता अधिनियम 1961 और शिक्षुता अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा। अनुसूचित जाति (एस.सी.)/पिछड़ा वर्ग-ए (बी.सी.ए.)/पिछड़ा वर्ग-बी (बी.सी.बी.) के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण के समय इसका विवरण देना होगा।
10. चयनित आवेदक को प्रशिक्षण के समय कार्यालय द्वारा कोई क्वार्टर/छात्रावास/निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
11. महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत के पास अप्रेंटिसशिप विज्ञापन में वर्णित रिक्तियों को घटाने/बढ़ाने/रद्द करने का अधिकार है।

महाप्रबंधक
हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत

PRDH-1119/11/969/2027/51317/67/6

हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी

विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेड-वार निम्न प्रकार से है: -

कारपेंटर (AO52068)=02	कोपा (A0139878)=02
इलेक्ट्रीशियन (A052064)=06	फिटर (AO142068)=05
मैकेनिक डीजल (AO224536)=08	मैकेनिक (मोटर वाहन) (AO52067)=02
पेंटर (AO176518)=01	अपहोल्स्टर (AO301707)=01

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट "apprenticeshipindia.org" पर तिथि 19.11.2026 से 02.12.2026 सांय 15:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं०, आई०डी०, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी आई०टी०आई० पास का मूल प्रमाण पत्र (अंकों सहित) ही अपलोड करें तथा आवेदन करने उपरांत अपलोड किए गए दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय, महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी में जमा करवाएं। यदि उम्मीदवार अपलोड दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तिथि 02.12.2026 के पश्चात् किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मेरिट आधार पर ही किया जाएगा।

जिन प्रशिक्षु उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने उपरांत अपने दस्तावेज तिथि 11.12.2026 से पूर्व कार्यालय में जमा करवाए गए हैं, उन उम्मीदवारों के दस्तावेज तिथि 11.12.2026 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा चेक किए जाएंगे। अतः सभी उम्मीदवार उपरोक्त निश्चित तिथि एवं समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। सफल प्रशिक्षु उम्मीदवारों का चयन आई०टी०आई० मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मेरिट आधार पर ही किया जाएगा।

नोटः अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति केवल तिथि 02.12.2026 को सांय 17:00 बजे तक कार्यालय में जमा की जाएगी।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी

PRDH-1119/11/962/2027/51103/67/7

हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला

प्रैस विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाईज निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Trade Name	No. of Posts
1	Diesel Mechanic	09
2	Motor Mechanic Vehicle (MMV)	08
3	Carpenter (Wood Technician)	03
4	Welder	03
5	Fitter	08
6	Electrician	05
7	Painter	03
8	Steno Typist Hindi	02
	Total	**41**

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वैबसाईट "http://www.apprenticeshipindia.gov.in" पर दिनांक 26.11.2026 से 06.12.2026 तक दोपहर 17:00 बजे तक कर सकते है। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं० आई०डी०, रिहायशी प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी आई०टी०आई० की फाईनल मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें तथा सभी दस्तावेज सहित दिनांक 09.12.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 15:00 बजे तक अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला, Site No-2, Near Plot No.203, industrial Area, Phase-2, Panchkula में उपस्थित हों। अगर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रार्थी के माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व नियुक्ति से पूर्व उसके दस्तावेजों के निरीक्षण उपरांत कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दिनांक 06.12.2026 के पश्चात किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। फाईनल लिस्ट जारी होने उपरांत यदि आवेदक तीन दिन के अंदर-2 अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

नोटः- अद्योहस्ताक्षरी के पास यह भी अधिकार होगा कि वह पदों को बड़ा/घटा सकता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल संबंधित ट्रेड से आई०टी०आई० करने वाले शिक्षु ही ट्रेड अनुसार पोर्टल पर आवेदन करें।

महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला

PRDH:- 1119/11/967/2027/51272/1/4 Dt. 25/11/2026

कार्यालयः- महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, फतेहाबाद

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को शिक्षुक अधिनियम-1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण और भत्ता देय होगा। ट्रेड-वार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1	डीजल मैकेनिक	10
2	विद्युतकार	06
3	वेल्डर	01
4	फिटर	01

इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण ऑनलाइन लिंक https://www.apprenticeshipindia.gov.in/login पर तिथि 28.11.2026 से 02.12.2026 तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी की गई आई०टी०आई० पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र और आवासीय प्रमाण-पत्र भी अपलोड करें और उम्मीदवार अपनी ई-मेल आई०डी० सही लिखें। कोई भी आवेदन सीधे तौर पर कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चयन के लिए नियम व शर्तेंः-

1. आवेदन के समय उम्मीदवार पूर्ण प्रोफाइल भरेगा।
2. उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी हो।
3. उम्मीदवार ने जिस ट्रेड से आई०टी०आई० पास की है, केवल उसी ट्रेड में आवेदन करेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 02.12.2026 के उपरांत तिथि 03.12.2026 को कार्यालय में गठित कमेटी के समक्ष अपनी प्रोफाइल, मूल दस्तावेज और आई०टी०आई० अंकों का मिलान करवाएगा। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार इस दौरान कमेटी के समक्ष दस्तावेज का मिलान नहीं करवाएगा तो उसकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. शिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० से प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार किया जाएगा।
6. शिक्षुता ग्रहण कर चुके उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा।
7. चयनित उम्मीदवारों को निश्चित तिथि पर कार्यग्रहण करना होगा तथा उन्हें ई-मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
8. अंतिम सूची तिथि 07.12.2026 को जारी की जाएगी।

महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
फतेहाबाद

PRDH-1119/11/968/2027/51310/67/6